


परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड-बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी० के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी ग्राम्य विकास विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



अधिष्ठाती अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार)

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड-बक्सौर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी० के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (सिविल/आरक्षित) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र ~~Open Forest/Dense Forest/~~ ~~Semi-Dense Forest~~ की श्रेणी में आता है। जिस हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि की प्रति हे० दर रूपये ९,५५०००=० (आठ लाख पचास हजार मात्र) है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रू० 11,९३,०००=० (ग्यारह लाख तिरासी हजार मात्र) मात्र किया गया है, जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

अधिकांशी अभियन्ता
एन०पी०वी० निर्माण
रुद्रप्रयाग


उपप्रभारिता वनाधिकारी
जयली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड-बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी० के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



अधिष्ठाता अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग